

न्यायालय जिला कलेक्टर करौली
पीठासीन अधिकारी नन्मल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा-करौली जरिये सचिव, हिण्डौन सहकारी
भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन - प्रार्थी

बनाम

रामफूल पुत्र रामधन, राजेश पुत्र खिलाड़ी, जाति गुर्जर निवासी जमूरा, तहसील
मासलपुर जिला करौली - अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001
व नियम 99 राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 बाबत ऋणी सदस्य
की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरित करने
बाबत

निर्णय

दिनांक-27.03.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रार्थना पत्र सचिव, हिण्डौन
सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन के जरिये हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक
शाखा करौली ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा हिण्डौन सहकारी
भूमि विकास बैंक शाखा करौली का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नहीं करने तथा
अप्रार्थीगण की सम्पत्ति/कृषि भूमि जो कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन है, को प्रार्थी बैंक
द्वारा नीलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकने के कारण अप्रार्थीगण की सम्पत्ति/कृषि
भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व राजस्थान
सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 99 के तहत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास
बैंक शाखा करौली के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर
अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया।
अप्रार्थीगण को नोटिस प्राप्त के तीस दिवस में बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा
करवाकर रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया किन्तु बावजूद
नोटिस प्राप्त अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है और
ना ही न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया है। अतः अप्रार्थीगण के
विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तत्पश्चात् बहस सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सुनी
गयी।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन द्वारा बहस में कथन
किया है कि अप्रार्थीगण रामफूल पुत्र रामधन, राजेश पुत्र खिलाड़ी, जाति गुर्जर निवासी
जमूरा, तहसील मासलपुर जिला करौली द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि,
शाखा करौली से ऋण लिया गया था, जिसे चुकता नहीं कराने पर अप्रार्थीगण को
राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 100 के अधीन जारी प्रमाण
पत्र के अनुसार असल 87825/-रुपये, ब्याज 70516/-रुपये, द0ब्याज 1645/-
रुपये कुल राशि 159986/-रुपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थीगण
के खाते में कुल बकाया असल 325334/-रुपये, ब्याज 318439/-रुपये द0ब्याज
43107/-रुपये, बीमा 12451/-रुपये, बसूली व्यय 2260/-रुपये, नीलामी व्यय
35080/-रुपये सहित कुल राशि 736671/-रुपये की अदायगी अप्रार्थीगण द्वारा

जिला कलेक्टर
करौली

आज दिनांक तक नहीं की गयी है। अब उक्त डिक्री की राशि वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिये विक्रय अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण की बैंक में बंदकित सम्पत्ति आराजी खसरा नं. 468 रकबा 2 बीघा 07 विस्वा, ख.नं. 594 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 597 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 598 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 599 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 602 रकबा 15 विस्वा, ख.नं. 603 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 604 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 609 रकबा 16 विस्वा, ख.नं. 611 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 612 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 614 रकबा 17 विस्वा, ख.नं. 616 रकबा 08 विस्वा, ख.नं. 617 रकबा 03 विस्वा, ख.नं. 687 रकबा 16 विस्वा, ख.नं. 688 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 689 रकबा 1 बीघा 09 विस्वा, ख.नं. 728 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 729 रकबा 19 विस्वा, ख. नं. 730 रकबा 15 विस्वा, ख.नं. 731 रकबा 31 बीघा 16 विस्वा, ख.नं. 772 रकबा 16 विस्वा, ख.नं. 773 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 774 रकबा 14 विस्वा, ख.नं. 775 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 777 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 778 रकबा 04 विस्वा, ख.नं. 779 रकबा 06 विस्वा, ख.नं. 780 रकबा 07 विस्वा, ख.नं. 781 रकबा 03 विस्वा, ख.नं. 784 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा, ख.नं. 786 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 787 रकबा 18 विस्वा, ख.नं. 788 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 789 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 790 रकबा 08 विस्वा, ख.नं. 791 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 792 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 796 रकबा 14 विस्वा, ख.नं. 797 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 798 रकबा 15 विस्वा, ख.नं. 799 रकबा 07 विस्वा कुल किता 42 कुल रकबा 60 बीघा 05 विस्वा हिस्सा 1/5 भाग एवं ख.नं. 819 रकबा 14 विस्वा, ख.नं. 821 रकबा 18 विस्वा, ख.नं. 1522 रकबा 1 बीघा 05 विस्वा, ख.नं. 1553 रकबा 08 विस्वा, ख.नं. 1554 रकबा 06 विस्वा, ख.नं. 1556 रकबा 07 विस्वा, ख.नं. 1557 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 1558 रकबा 19 विस्वा, ख.नं. 1559 रकबा 1 बीघा 04 विस्वा, ख.नं. 1561 रकबा 18 विस्वा, ख.नं. 1563 रकबा 8 बीघा 06 विस्वा, ख.नं. 1632 रकबा 1 बीघा 08 विस्वा, ख.नं. 1648 रकबा 02 विस्वा कुल किता 13 रकबा 17 बीघा 04 विस्वा का 1/2 का 1/4 भाग बाके ग्राम जमूरा पटवार हल्का जमूरा, तहसील मासलपुर जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा दिनांक 05.06.2014, 14.06.2014 एवं 18.01.2016 को जरिये नीलामी की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गई भूमि को प्रार्थी सहकारी बैंक को अंतरित करने हेतु प्रार्थी बैंक के प्रशासक एवं महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. जयपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.04.2016 के निर्णय का उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा दिनांक 29.04.2016 को अनुमोदन कर अप्रार्थीगण की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन भूमि, जो नीलामी में बेची नहीं जा सकी है, का प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंका की है। यह खाता राज्य सरकार द्वारा की गई ऋण माफी योजना 2019 के अंतर्गत दायरे में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की उक्त भूमि जो हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा-करौली के पक्ष में बंधक है, को उक्त प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन सिटी ने कथन किया है।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थीगण द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली की बकाया ऋण राशि असल 87825/-रूपये, ब्याज 70516/-रूपये, द0ब्याज 1645/-रूपये कुल राशि 159986/-रूपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.

जिला कलक्टर 2016 तक अप्रार्थीगण के खाते में कुल बकाया असल 325334/-रूपये, ब्याज करौली


318439/-रूपये द0ब्याज 43107/-रूपये, बीमा 12451/-रूपये, वसूली व्यय 2260/-रूपये, नीलामी व्यय 35080/-रूपये सहित कुल राशि 736671/-रूपये जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थीगण की बैंक में बंदकित भूमि आराजी खसरा नं. 468 रकबा 2 बीघा 07 विस्वा, ख.नं. 594 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 597 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 598 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 599 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 602 रकबा 15 विस्वा, ख.नं. 603 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 604 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 609 रकबा 16 विस्वा, ख.नं. 611 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 612 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 614 रकबा 17 विस्वा, ख.नं. 616 रकबा 08 विस्वा, ख.नं. 617 रकबा 03 विस्वा, ख.नं. 687 रकबा 16 विस्वा, ख.नं. 688 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 689 रकबा 1 बीघा 09 विस्वा, ख.नं. 728 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 729 रकबा 19 विस्वा, ख.नं. 730 रकबा 15 विस्वा, ख.नं. 731 रकबा 31 बीघा 16 विस्वा, ख.नं. 772 रकबा 16 विस्वा, ख.नं. 773 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 774 रकबा 14 विस्वा, ख.नं. 775 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 777 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 778 रकबा 04 विस्वा, ख.नं. 779 रकबा 06 विस्वा, ख.नं. 780 रकबा 07 विस्वा, ख.नं. 781 रकबा 03 विस्वा, ख.नं. 784 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा, ख.नं. 786 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 787 रकबा 18 विस्वा, ख.नं. 788 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 789 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 790 रकबा 08 विस्वा, ख.नं. 791 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 792 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 796 रकबा 14 विस्वा, ख.नं. 797 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 798 रकबा 15 विस्वा, ख.नं. 799 रकबा 07 विस्वा कुल किता 42 कुल रकबा 60 बीघा 05 विस्वा हिस्सा 1/5 भाग एवं ख.नं. 819 रकबा 14 विस्वा, ख.नं. 821 रकबा 18 विस्वा, ख.नं. 1522 रकबा 1 बीघा 05 विस्वा, ख.नं. 1553 रकबा 08 विस्वा, ख.नं. 1554 रकबा 06 विस्वा, ख.नं. 1556 रकबा 07 विस्वा, ख.नं. 1557 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 1558 रकबा 19 विस्वा, ख.नं. 1559 रकबा 1 बीघा 04 विस्वा, ख.नं. 1561 रकबा 18 विस्वा, ख.नं. 1563 रकबा 8 बीघा 06 विस्वा, ख.नं. 1632 रकबा 1 बीघा 08 विस्वा, ख.नं. 1648 रकबा 02 विस्वा कुल किता 13 रकबा 17 बीघा 04 विस्वा का 1/2 का 1/4 भाग बाके ग्राम जमूरा पटवार हल्का जमूरा, तहसील मासलपुर जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही की गई किन्तु बोलीदाताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। हम प्रार्थी के कथनों से सहमत हैं।

अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी गई भूमि आराजी खसरा नं. 468 रकबा 2 बीघा 07 विस्वा, ख.नं. 594 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 597 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 598 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 599 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 602 रकबा 15 विस्वा, ख.नं. 603 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 604 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 609 रकबा 16 विस्वा, ख.नं. 611 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 612 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 614 रकबा 17 विस्वा, ख.नं. 616 रकबा 08 विस्वा, ख.नं. 617 रकबा 03 विस्वा, ख.नं. 687 रकबा 16 विस्वा, ख.नं. 688 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 689 रकबा 1 बीघा 09 विस्वा, ख.नं. 728 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 729 रकबा 19 विस्वा, ख.नं. 730 रकबा 15 विस्वा, ख.नं. 731 रकबा 31 बीघा 16 विस्वा, ख.नं. 772 रकबा 16 विस्वा, ख.नं. 773 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 774 रकबा 14 विस्वा, ख.नं. 775 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 777 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 778 रकबा 04 विस्वा, ख.नं. 779 रकबा 06 विस्वा, ख.नं. 780 रकबा 07 विस्वा, ख.नं. 781 रकबा 03 विस्वा, ख.नं. 784 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा, ख.नं. 786 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 787 रकबा 18 विस्वा, ख.नं. 788 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 789 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 790 रकबा 08 विस्वा, ख.नं. 791 रकबा 13 विस्वा, ख.नं. 792 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 796 रकबा 14 विस्वा, ख.नं. 797 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 798 रकबा 15 विस्वा, ख.नं. 799 रकबा 07 विस्वा कुल किता 42 कुल रकबा 60 बीघा 05 विस्वा हिस्सा 1/5 भाग एवं ख.नं. 819 रकबा 14 विस्वा, ख.नं. 821 रकबा 18 विस्वा,


जिला कलेक्टर
करौली

ख.नं. 1522 रकबा 1 बीघा 05 विस्वा, ख.नं. 1553 रकबा 08 विस्वा, ख.नं. 1554 रकबा 06 विस्वा, ख.नं. 1556 रकबा 07 विस्वा, ख.नं. 1557 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 1558 रकबा 19 विस्वा, ख.नं. 1559 रकबा 1 बीघा 04 विस्वा, ख.नं. 1561 रकबा 18 विस्वा, ख.नं. 1563 रकबा 8 बीघा 06 विस्वा, ख.नं. 1632 रकबा 1 बीघा 08 विस्वा, ख.नं. 1648 रकबा 02 विस्वा कुल किता 13 रकबा 17 बीघा 04 विस्वा का 1/2 का 1/4 भाग बाके ग्राम जमूरा पटवार हल्का जमूरा, तहसील मासलपुर जिला करौली को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अंतर्गत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा करौली के पक्ष में अंतरित किये जाने के आदेश किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार मासलपुर को राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने हेतु एवं प्रार्थी को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(नन्नुमल पेहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली